



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 353]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 15, 2013/माघ 26, 1934

No. 353]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 15, 2013/MAGHA 26, 1934

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2013

का.आ. 380(अ).—केन्द्रीय सरकार, उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खण्ड 20 के अनुसरण में भारत में दो वर्षों के लिए आयातित किए जाने वाले पोटेशियम मैग्निशियम सल्फेट (30:10:17) के कृषि में उपयोग हेतु भारत में इसके विक्रय के प्रयोजन से राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित विशिष्टियां करती है, अर्थात्:—

पोटेशियम मैग्निशियम सल्फेट (30:10:17)

विशिष्टियां :

- | | |
|---|------|
| (i) भार के आधार पर आर्द्रता का अधिकतम, प्रतिशत | 0.5 |
| (ii) भार के आधार पर मैग्निशियम (एमजीओ के रूप में) का न्यूनतम, प्रतिशत | 10.0 |
| (iii) भार के आधार पर पानी में घुलनशील पोटाश (के ₂ ओ के रूप में) का न्यूनतम, प्रतिशत | 30.0 |
| (iv) भार के आधार पर कुल सल्फर (एस के रूप में) का न्यूनतम, प्रतिशत | 17.0 |
| (v) भार के आधार पर (शुष्क आधार पर) कुल क्लोराइड (सीएल के रूप में) का अधिकतम, प्रतिशत | 2.5 |
| (vi) कण आकार-पदार्थ का 90 प्रतिशत से अत्यून 4 मि.मी. भा.मा. छलनी से छन जाएगा और 1 मि.मी. भा.मा. छलनी पर रह जाएगा। 5 प्रतिशत से अनधिक 1 मि. मी. भा.मा. छलनी से नीचे रहेगा। | |

[फा. सं. 2-2/2012-उर्व. विधि]

नरेन्द्र भूषण, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation)

ORDER

New Delhi, the 15th February, 2013

S.O. 380(E).—In pursuance of clause 20 of the Fertiliser (Control) Order, 1985, the Central Government hereby fixes the specifications of Potassium Magnesium Sulphate (30:10:17) to be imported into India for a period of two years from the date of publication of this notification, in the Official Gazette, for the purpose of sale of the same in India, for use in agriculture, namely:—

Potassium Magnesium Sulphate (30:10:17)

Specifications :

- | | |
|---|------|
| (i) Moisture per cent by weight, maximum | 0.5 |
| (ii) Magnesium (as MgO) per cent by weight, minimum | 10.0 |
| (iii) Water soluble Potash (as K ₂ O) per cent by weight, minimum | 30.0 |
| (iv) Total Sulphur (as S) per cent. by weight, minimum | 17.0 |
| (v) Total Chlorides (as Cl) per cent by weight, (on dry basis), maximum | 2.5 |
| (vi) Particle size: not less than 90 per cent of the material shall pass through 4 mm IS sieve and be retained on 1 mm IS sieve. Not more than 5 per cent shall be below 1 mm IS sieve. | |

[F. No. 2-2/2012-Fert. Law]

NARENDRA BHOOSHAN, Jt. Secy.